न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 59/2016 (उदयपुर डिक्री)

गणेश पिता स्वर्गीय किशना जी पूर्बिया गाडरी, निवासी हिता, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. प्यारचन्द पिता स्वर्गीय किशना जी पूर्बिया गाडरी, निवासी हिता, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. गोवर्धन पिता स्वर्गीय किशना जी पूर्बिया गाडरी, निवासी हिता, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. गोपाल पिता स्वर्गीय किशना जी पूर्बिया गाडरी, निवासी हिता, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्त. अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक वल्लभनगर दि.27.06.2016 प्र.सं.4/14

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री विजय कुमार ओस्तवाल अभिभाषक रे.सं. 5

3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 02–02–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हिता आराजी नंबर 2390 [illegible] रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित होकर मुझ वादी के नाम खातेदारी [illegible] दर्ज है एवं वादी ही काबिज

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:34 IST
Reason: SelfAttested

होकर उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त आराजी में प्रतिवादी का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है, फिर भी आये दिन लड़ाई–झगड़ा करते हैं व वृक्ष काटने पर आमादा है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर उसके साथ काउण्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें निवेदन किया कि विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 का भी 1/4 हिस्सा होने से उसे 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की उपस्थिति में अपने निर्णय दिनांक 27–06–2016 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 18–07–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री विजय कुमार ओस्तवाल उपस्थित हुए जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि राजस्व अदालत में अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारित किया गया है तथा काउण्टर क्लेम एवं मौका रिपोर्ट पर कोई विवेचन नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उचित बताया तथा अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 में विवादित आराजी 2390/9 मीन रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा भूमि [illegible] हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 प्यारचन्द के नाम दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय के राजस्व रेकार्ड अनुसार ही

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:34 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–06–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 02–02–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:34 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** ....

गणेश पिता स्व.किशना जी पूर्बिया गाडरी, निवासी हिता, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर बनाम **गणेश पिता स्व.किशना जी पूर्बिया गाडरी, निवासी हिता, तहसील वल्लभनगर व अन्य**

अपील नं............**59/2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.......... ..... **वल्लभनगर**.......... मुकाम................मुवर्खे............**27**...............माह..............**06**..............**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**02**....माह........**02**.......सन् **2021** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री भूरालाल डांगी**...मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री विजय कुमार ओस्तवाल** ....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27—06—2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**02**.....माह.......**02**...........**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:34:34 IST
Reason: SelfAttested